सं. ओ.वि./रोहतक/191–83/57667.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. जाट एजुकेशन सोसाइटी, रोहतक, के श्रमिक श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.स.ओ.(ई) श्रम/70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./283-83/57674.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. हिन्दुस्तान वायरज लि० प्लाट नं० 267-268, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री कालिका राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :-

क्या श्री कालिका राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ.वि./एफ.डी./294-83/57681.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज भारत गीयर इन्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 3 ए-154, एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम जतन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राम जतन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वे किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./रोहतक/186-83/57688.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज यूनाईटिड स्टील एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज, डी.-3, मार्डन इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री बालक राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6-11-70 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.-(ई)-श्रम-70/13648, दिनांक 8-5-1970 द्वारा उक्त

अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है:—

क्या श्री बालक राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि/रोहतक/110-83/57695.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज श्री चन्द स्टील रोलिंग मिल्ज बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री शिव चरण तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई)-श्रम/70/13648, दिनांक 8-5-1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिणय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है :-

क्या श्री शिव चरण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

स. ओ. वि./रोहतक/185-83/57702.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. कपूर इलैक्ट्रोडस प्रा. लि., रोहतक रोड, एम. आई., ई. बहादुरगढ़ के श्रमिक श्री शिवनाथ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद/लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं (;)

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादाग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शिव नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है,? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./261-83/57709.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राए है कि मैसर्ज पैरामाउण्ट रबड़ इन्डस्ट्रीज 58-बी एन.आई.टी., फरीदाबादके श्रमिक श्री वासो चौधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है:

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक न्यायालय, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री वासो चौधरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?